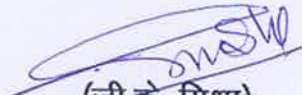


अधिनियम उल्लंघन के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही का विवरण

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत आवेदक मेसर्स सिंघल एनर्जी प्रा. लि. ग्राम- तराईमाल, ब्लॉक- तमनार जिला- रायगढ़ के निकट स्थापित स्पंज आयरन प्लांट एवं प्रस्तावित 10 मे. वा. कैप्टिव पॉवर प्लांट हेतु गेरवानी नाला से प्लांट तक पानी ले जाने हेतु कुल 0.117 हे. वनभूमि में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है। अतः जानकारी निरंक है।


(जी.के. मिश्रा)

मैनेजर

मेसर्स सिंघल एनर्जी प्रा.लि.


वनमण्डलाधिकारी

रायगढ़ वनमण्डल रायगढ़


वन परिक्षेत्राधिकारी
तमनार


उप वनमण्डलाधिकारी
घरघोड़ा